बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

। अधिसूचना ।

का0आ0सं0–11/अ0प्र0–13–20/2021 4693 /दिनांक–28/9/21

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य के पथ निर्माण विभाग, बिहार का संकल्प सं0–4564 अनु0 दिनांक–11.07.2005 एवं 4501 अनु0 दिनांक–28.03.2008 के द्वारा निर्गत राजकीय क्षेत्राधिकार में पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सड़कों के किनारे, उपर या भूमिगत रूप से विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोन लाइन या केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाईन इत्यादि बिछाने तथा इस हेतु काटे गए पथांश के पुर्नस्थापना के लिए सरकारी दर, एकरारनामा प्रारूप एवं नीति निर्धारण से संबंधित है को ग्रामीण कार्य विभाग के लिए अंगीकृत करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।**–(i) यह नियमावली राजकीय क्षेत्राधिकार में ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले सड़कों के किनारे, उपर या भूमिगत रूप से विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोन लाइन या केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाईन इत्यादि बिछाने तथा इस हेतु काटे गए पथांश के पुर्नस्थापना के लिए सरकारी दर, एकरारनामा प्रारूप एवं नीति निर्धारण से संबंधित नियमावली–2021 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह विभागीय एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी।

(iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. पथ निर्माण विभाग, बिहार का संकल्प सं0–4564 अनु0 दिनांक–11.07.2005 एवं 4501 अनु0 दिनांक–28.03.2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) के द्वारा निर्गत राजकीय क्षेत्राधिकार में पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सड़कों के किनारे, उपर या भूमिगत रूप से विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोन लाइन या केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाईन इत्यादि बिछाने तथा इस हेतु काटे गए पथांश के पुर्नस्थापना के लिए सरकारी दर, एकरारनामा प्रारूप एवं नीति निर्धारण से संबंधित है को ग्रामीण कार्य विभाग के लिए अंगीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(संजय दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

PTO

(98)

88

ज्ञापांकः–11/अ0प्र0–13–20/2021 4694 /दिनांक–20/9/21

प्रतिलिपिः–उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो हार्ड कॉपी, सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 300 (तीन सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

18/9/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–11/अ0प्र0–13–20/2021 4694 /दिनांक–20/9/21

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की हार्ड कॉपी सीडी सहित बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित एवं उसकी 300 (तीन सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

18/9/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–11/अ0प्र0–13–20/2021 4694 /दिनांक– 20/9/21

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सभी प्रधान सचिव/ सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–11/अ0प्र0–13–20/2021 4694 /दिनांक–20/9/21

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य/अकार्य अंचल/उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य/अकार्य प्रमंडल/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/2021

सरकार के विशेष सचिव